राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (38)परि/नियम/मु/2009/12097 जयपुर, दिनांक : 25.10.2012

कार्यालय आदेश संख्या 19 / 2012

विषय :– कार्यालय आदेश संख्या 26/2001 प्रत्याहरित करने हेतु।

विभागीय समसंख्यक कार्यालय आदेश संख्या 26/2001, दिनांक 12.06.2001 के द्वारा समस्त पंजीयन अधिकारियो को यह निर्देश प्रदान किए गए थे कि NCR क्षेत्र के निवासियों द्वारा अन्य जिलों में अस्थाई पते के आधार पर वाहन का पंजीयन किया जा सकेगा।

जानकारी में लाया गया है NCR क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है एवं असत्य अस्थाई पतों पर, आसपास के जिलों में पंजीयन कराया जा रहा है।

इस प्रकार की स्थिति से गलत पते पर वाहनों के पंजीयन करने से पंजीयन एवं कराधान अधिकारी के कर खाते अपूर्ण रहने एवं कर अपवंचना की प्रबल संभावना रहती है।

उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत एवं NCR क्षेत्र के मानदण्डो के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में वाहनों के निर्माण एवं उपलब्धता के कारण अब उपरोक्त आदेश 26/2001 की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त कार्यालय आदेश संख्या 26/2001 दिनांक 12.06.2001 उपरोक्त वर्णित कारणों से तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

परिवहन आयुक्त एवं
अति. मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ 7 (38)परि/नियम/मु/2009/12098-12103 जयपुर, दिनांक : 25.10.2012

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन एवं गृह राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक श्रीमान परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव।
3. समस्त अधिकारी गण मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को पालनार्थ।
5. श्री संजय सिंघल एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (नियम)

DSR/Rules/Letter/hindi letter